पत्रांकःविधि–2(1)केन्द्रीय बिक्री कर–8(5)–172(09–10)/362/ 0910031 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 10 जुलाई, 2009

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

विषयः–प्रान्त बाहर से खरीदे गये माल की वापिसी के परिप्रेक्ष्य में फार्म–एफ की मांग पर आ रही समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय में शासन स्तर पर प्रत्यावेदन प्राप्त हुए है कि उत्तर प्रदेश के करदाताओं द्वारा प्रदेश के बाहर से खरीदे गये माल में से परिस्थितिजन्य कारणों से माल की वापिसी किये जाने पर ऐसे वापिसी को अनुमन्य किये जाने हेतु फार्म–एफ की मांग की जा रही है। प्रत्यावेदनों में यह इंगित किया गया है कि प्रदेश के बाहर से जो खरीद फार्म–सी के माध्यम से की जाती है और ऐसी खरीद जो केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत दूसरे प्रान्त से उत्तर प्रदेश के लिए अन्तर्प्रान्तीय बिक्री की श्रेणी में है, उनमें से माल का कुछ अंश वापस भेजे जाने पर वापिसी को मान्य ठहराने हेतु फार्म–एफ की मांग उचित नहीं है। प्राप्त प्रत्यावेदन में यह भी तर्क दिया गया है कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत 6 माह के अन्दर माल वापिसी होने पर क्रेडिट नोट एवं गुड्स रिसीट आदि साक्ष्यों के आधार पर ऐसी वापिसी को मान्यता प्रदान किया जाता रहा है ।

उक्त के सन्दर्भ में शासन ने अपने पत्र संख्या–क0नि0–सी0एम0 43/ग्यारह–2–2009–9(134)/2000 संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 03 जुलाई 2009 द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये हैः–

''ऐसे मामलों में जहॉ प्रदेश के व्यापारी को दूसरे राज्य में स्थित व्यापारी से फार्म–एफ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो सन्दर्भित प्रकार के मामलों में ऐसे माल वापिसी अन्य साक्ष्यों से समर्थित होने की दशा में अनुमन्य किया जाना नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से उचित होगा।''

कृपया तद्नुसार फार्म–एफ के अभाव में ऐसे माल वापिसी को स्वीकार किये जाने के विषय में अधीनस्थ अधिकारियों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें ।

ह0/09–7–09
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को पत्र संख्या–क0नि0–सी0एम0 43/ग्यारह–2–2009–9(134)/2000 संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 03 जुलाई 2009 के क्रम में प्रेषित।
2– समस्त एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ ।
3– समस्त ज्वांइट कमिश्नर/अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय,लखनऊ।

ह0/–
(यू0सी0 दीक्षित)
एडीशनल कमिश्नर (विधि)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।